न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

जमाबंदी रद्द वाद सं0–43/2014–15

(1) रामाश्रय सिंह, (2) रामपुकार सिंह (3) दिना सिंह, (4) रामजन्म सिंह, सभी पिता–स्व0 नौरंग सिंह, ग्राम–जसोईयाँ, (औरंगाबाद)

बनाम

(1) कामदेव सिंह, पिता–स्व0 जगदेव सिंह,
(2) सुनिल सिंह, पिता–करमदेव सिंह, ग्राम–जसोईया (औरंगाबाद) वगैरह

आदेश

यह जमाबंदी रद्द वाद विपक्षीगण के नाम बगैर आदेश के खाता सं0–193, प्लौट सं0–2, 3, 129 एवं 130 कुल रकवा–1.13 एकड़ भूमि की कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विपक्षी को बार–बार समय दिये जाने के बावजूद भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण वाद की सुनवाई एकतरफा की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता सं0–193 सर्वे खतियान में काशी सिंह एवं मान सिंह के नाम दर्ज है तथा मान सिंह साथ में रहते हुए नावल्द स्वर्गवास किये तथा काशी सिंह के पांच पुत्र क्रमशः ईश्वर दयाल सिंह, परमेश्वर सिंह, बहादुर सिंह, रामविलास सिंह एवं रामजतन सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये तथा उपरोक्त पांच भाईयों में ईश्वर दयाल सिंह, परमेश्वर सिंह एवं बहादुर सिंह नावल्द स्वर्गवास कर गये तथा इन सबों के मृत्यु के पश्चात् रामखेलावन सिंह एवं रामजतन सिंह में खानगी बटवारा हुआ। उक्त बटवारा में खाता नं0–142 में 13.91 एकड़ एवं खाता सं0–193 में 4.86 एकड़ जमीन रामखेलावन सिंह को प्राप्त हुआ। वे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आये। रामखेलावन सिंह द्वारा खाता नं0–193 के प्लौट सं0–130 में रकवा–10 डी0 प्लौट सं0–19 में रकवा–88डी0, प्लौट सं0–129 में 35 डी0, प्लौट सं0–2 रकवा–21 डी0, प्लौट सं0–3 रकवा–47 डी0 तथा प्लौट सं0–40 में रकवा–17 डी0 जो मौजा बराटपुर में अवस्थित है, को निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा वर्ष 1961 में आवेदकगण के नाम से विक्री कर दिया गया और वे दखल कब्जा में आये।

जब प्रश्नगत भूमि के खेसरा सं0–2 एवं 3 में मिट्टी भराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो विपक्षीगण एवं अन्य कुछ लोगो के साथ आकर रोक दिये और उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विपक्षी के नाम से चल रहा है, इसपर आवेदक का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी के साथ तनाव की स्थिति हुई तो पुलिस को सूचना देने पर पुलिस प्रश्नगत भूमि पर आकर कागजी सबूतों के जाँचोंपरान्त विपक्षी के दावा को गलत बताया इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा मानने को तैयार नहीं हुए।

विपक्षीगण द्वारा बिना हक एवं अधिकार के बगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खाता सं0–193 की प्लौट सं0–2, 3 तथा अन्य प्लौट की भूमि का जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा ली गयी है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रश्नगत भूमि के जाँचोंपरान्त दिनांक–21.02.2015 को प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत भूमि की विपक्षी के नाम बगैर किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी कायम कर दी गयी है, जिसका खाता सं0–193 के प्लौट सं0–2, 3, 129 एवं 130 कुल रकवा–01 एकड़ 13 डी0 भूमि से संबंधित है जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनेकों बार समय दिया, परन्तु उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण वाद की सुनवाई एकतरफा की गयी। चूँकि यह मामला वर्ष 2014 से चल रहा है इतने लम्बे अवधि बीत जाने के बाद भी विपक्षीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण द्वारा वर्ष 1961 में जमाबंदी रैयत रामखेलावन सिंह से निबंधित केवाला द्वारा क्रय किया गया है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, औरंगाबाद जाँचोंपरान्त आवेदकगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी एवं जमाबंदी कायम कर आवेदकगण के नाम सरकारी रसीद निर्गत की जा रही है।

विपक्षीगण के नाम वगैर किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम कर दी गयी, जिसकी जाँच अंचल अधिकारी, औरंगाबाद से करायी गयी। जाँचोंपरान्त यह पाया गया कि खाता सं0–193 खेसरा सं0–2, 3, 129, 130 रकवा 1.13 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में काशी सिंह पिता–टिकन सिंह के नाम पर दर्ज है, जिसकी जमाबंदी वर्त्तमान समय में रामाश्रय सिंह वगैरह पिता–स्व0 नौरंग सिंह

के नाम पर चल रही है, जिसकी जमाबंदी सं0–184/28 है तथा वर्त्तमान समय में प्रश्नगत भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है।

विपक्षी के नाम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी जगेसर सिंह, पिता–कवलनाथ सिंह, ग्राम–जसोईया के नाम बगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के जमाबंदी कायम है जिसका जमाबंदी सं0–85/III है।

विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के दावे के संबंध में न तो अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न कागजी सबूत पेश किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का किया जा रहा दावा सही प्रतीत नहीं होता है।

अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–266 दिनांक–21.02.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदकगण के दखल कब्जे में है, जिसके नाम से जमाबंदी सं0–184/28 कायम है एवं सरकारी रसीद भी उनके नाम से निर्गत की जा रही है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का किया जा रहा दावा नियमानुसार सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–266 दिनांक–21.02.2015 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी जगेसर सिंह, पिता–कवलनाथ सिंह, ग्राम–जसोईया के नाम से प्रश्नगत भूमि के खाता सं0–193 के प्लौट सं0–2, 3, 129 एवं 130 के कुल रकवा–1.13 एकड़ भूमि की कायम जमाबंदी सं0–85/III नियमानुसार एवं विधिसम्मत नहीं पाते हुए रद्द किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, औरंगाबाद को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से आवेदकगण के नाम प्रश्नगत भूमि के कायम जमाबंदी यथावत रखा जाय।

तद्नुसार आवेदकगण द्वारा दायर जमाबंदी रद्द वाद स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आशय की सूचना अंचल अधिकारी औरंगाबाद को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।